
विषय: <u>डी-5-१8/ 201</u>6/ 14: 3 ਰਿਪਧ . का विभाग संबंध में । पूजा कर्गाल *334/16* ः कृपया विचाराधीन पत्र का अवलोकन् नट, गाननीय एका न्यायालय द्वारा याचिका कृतांक 193/16 १६ स्वत्याई प्रमास प्रमिकारी नियुक्त किया करा है । जनए अस्तरा िय्वति हेतु प्रस्ताव प्रबंध संचालक गंकी भाग मामा विभाग प्रामा प्रश्तित **हे, तदानुसार** प्रकरत मुख्या गाँव गाँव जा ंकि । किया जाना एसिट्र रोगा । 11 (278-119) জনুত**র্**নিচ नासी मेंगी करी की mind ton with 10-10-20 16 143 कियाना (विकित्त)

17 17 (17.7%)

a philippe C

St- 5/ 28/2016/14-3 2411/160 - 100 193/16 5/201 MENT विषय: छब्बीस २ सचिवालय -yal-6124 कृपया अवर सचिव म.प्र. शासन, कृषि विभाग द्वारा प्राप्त नोटशीट[ँ] कमांक-यू.ओ. नं0-29/2016/14-3 दिनांक 04.02.2016 द्वारा प्र<u>करण कमांके डब्ल्यू.पी.-193/2016 श्री</u> लक्ष्मी वाई अध्यक्ष मंडी सनावद विरुद्ध मं०प्र० शासन एवं अन्य में प्रभारी अधिकारी नियुक्ति हेतु प्रस्ताव चाहा गया है,। जिसके लिए कार्यालयीन पत्र कमार्क /बोर्ड /विधि /व्ही 1 / इ.16 / 204 दिनांक 10.2.2016 द्वारा प्रतिवादी कमांक एक की ओर से पक्ष स<u>मर्थन करने हेत् संयुक्त संचालक /</u> उपसंचालक ' न.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आचलिक कार्याल्य, **इंदौर** को प्रभारी अधिकारी नियुक्त करने हेतु प्रस्ताव एवं प्रभारी अधिकारी नियुक्ति आदेश प्रारूप नस्ती में संलग्ने कर एकल नरती मूलतः प्रेषित है। क्पया उक्त प्रतिवादी की ओर से प्रतिरक्षण हेतू भी महाधिवक्तों कार्यालय को विधि विभाग से निर्देश जारी कराय जाने का निवंदन किया जाना उचित होगा। 3-2-16. संयुक्त संचालक, अवर राचिव, न्ध्यप्रदेश शासन्. केसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंति कोई में उत्लात किसार कर मार्का मिन्ना मार्क अतिका महार्का क्रिकार प्रायप अनु मादनान । ज वज्ञादनकी प्रकृति अथाप्रस्तावित । Nitin mistry/GOV montheet निसकेमुप्रे—17-7-15*—* ५;60;00



. ः इब्बीस-२ सचिवालय	विषय :	का विभाग
		į
		- - - -
	,	
·		

मध्यप्रदेश शासन किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग गंत्रालय, भोपाल

कमांक- र्ज १८ /१०(६/)(१ हिं/आदेश//

भोपाल दिनांक 💭 - 🍞 🍪

सिवित प्रकिया संहिता 1908 (1908 का अधिनियम संख्याक—5) अधिश सन्ताईस के नियम) तथा 2 के अधीम प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में आते हुए प्रकरण कमांक डब्ल्यू०पी०—193/2016 श्रीगती लक्ष्मीबाई, अध्यक्ष कृषि उपज मण्डी सिगित समायद जिला खरगोन विरूद्ध म.प्र. शासन एवं अन्य में संयुक्त संचालक/उपसंचालक, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय, इन्दौर को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया जाता है, ने मध्यप्रदेश राज्य के लिए तथा उसकी ओर से प्रभारी अधिकारी के रूप में अभिवयनों पर हस्ताक्षर करने और उन्हें स्त्यापित करने के लिए तथा कार्य करने आवेदन करने और उप सजात होने के लिए नियुक्त करते हैं। प्रभारी अधिकारी को यह आदेश दिया जाता है कि मध्यप्रदेश विधि और विधायों कार्य विभाग नियमावली में वर्णित कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों के अतिरिक्त वह अपनी नियुक्ति के दुरन्द परकात अन्य बातों के साथ ऐसी रीति में जिस्सके ब्योरे नीचे दिये गए हैं, निम्नालिखित कार्य करेगा:—

- 1. प्रभारी अधिकारी तथ्यों के बारे में तुरंत ऐसी जाँच करेगा जैसी की आवश्यक हो और वाचिका में उठाये गये समस्त बिन्दुओं का पैरा अनुसार उत्तर देते हुए और ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुए जिनमें की मामले के संचालन में महाधिवक्ता/शासकीय अभिनायक का लहायता पहुँचमें की संभावना है, रिपोर्ट तैयार करेगा। यदि किसी प्रकरण पर विधि विभाग स परामर्श किया गया था, तो उस विभाग की राय मी रिपोर्ट में विनिर्देश्ट रूप से गिर्विय की जाएगी।
- 2. समस्त सुसगत जाइले, दस्तादेज नियम, अधिसूचगारै तथा आदेश एकवित करंगा
- 3. बाद पत्र / याचिका में एकाये गए समस्त बिन्धुंओं का पैरा अनुसार उत्तर वेते हुए आर एंसें अतिरिक्त जानकारी देते हुवे, जिनमें की शासकीय अभिमानक का सहायता पहुँचने का संभावना है, एक रिवेर्ट तैयार करेगा।
- 4 उक्त रिपेर्ट तथा सामग्री के साथ शासकीय अधिवक्ता से सन्पर्क करेगा
- शासकीय अधिवक्ता के सहायता से लिखित कथन तैयार करवाएगा:
- 6. शासकीय अधिवक्ता की सहायता।
- 7. प्रभारी अधिकारी निम्नलिखित कागज पत्र भेजेग' :--
 - (क) बाद पत्र की एक प्रति के साथ सरकार की एक रिपोर्ट :
 - (छ) प्रस्तावित लिखित कथन का एक प्रारूप।

 - (घ) मामले के विरूद्धीकरण के लिये आवश्यक कागज पत्रों की प्रतियाँ इसमें धाद की सुनवाई की तारीख भी वर्णित होनी चाहिये
- मामले की तैयारी और संचालन करने की शासकीय अधिवक्ता का सहयोग करना और मामले उसे प्रक्रम और प्रगति के लिये किये गये करोदी संस्वयं को सदेव ही अवगत रखना
- 9. जब भी कोई आदेश/निर्देश विशिष्टतया मध्यप्रदेश राज्य का विरुद्ध प्रांस्ट क्षिया जारत ह तब विधि विभाग को सृचित करना तथा उसकी प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिये उसी विन या आगामी कार्य दिवस का आवेदन करना।
- 10.अपनी रिपोर्ट के साथ आदेश / निर्णय की प्रमाणित प्रति तथा शासकीय अधिवक्ता की राय अगली कार्यवाही किए जाने के लिये इस विभाग को भेजना।

- 11.यह देखना है कि आवेदन करने में ताकि प्रमाणित प्रतिथाँ प्राप्त करने, रिपोर्ट बनाने, राथ प्राप्त करने और उसकी सूचना देने में समय नष्ट नहीं हो।
- 12.जैरंग् ही उसे अपना स्थानांतरण आदेश प्राप्त होता है वह अर्द्धशासकीय पत्र के माध्यम से तत्काल ज्यानकारी देगा। वह वर्तमान पद का भार सौंप देने के पश्चात भी तब तक प्रभारी अधिकारी बना रहेगा, जब तक कि अन्य प्रभारी अधिकारी नियुक्त नहीं कर दिया जाये।
- 13.अधिकारी मामले तैयार करने में शासकीय अधिवक्ता को हर संभव सहयोग देगा तथा इस बावत के लिये उत्तरदायी होगा कि कोई महत्वपूर्ण तथ्य या दरलावेज अप्रकाशित / छुपी हुई महीं रह जाये।
- 14.प्रभारी अधिकारी, नाम दिनांक अभियोजक मुकर्रर है तो यह, जैसे ही दाद का विनिश्चय होता है परिणाम की रिपोर्ट विभागाध्यक्ष के माध्यम से सरकार को करेगा। निर्णय की एक प्रति अभी प्राप्त की जाए और रिपोर्ट के साथ भेजी जाए।
- 15.प्रभारी अधिकारी या अन्य यदि लोक अभियोजन मुकर्रर है तो वह इरा बात के लिये उत्तरदायी होगा कि उन मामलों में जहाँ किसी धाद के प्रकरण में पारित किये गये किसी अंतिंग आदेश का पुनरीक्षण अपेक्षित है समय पर कार्यवाही की गई है। अंतएव वह उस आदेश की प्रति जैसे ही वह पारित किया जावे विमागाध्यक्ष के माध्यम से अपना अनुशंसा के साथ (सरकार) प्रशासकीय विभाग को अग्रेषित करें।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

अवर समिव

रिक्ष मध्याप्रदेश शासन, किसान कल्याम तथा कृषि विकास

विभाग, मंत्रालय भोपाल भोपाल दिनाम 2-3-16

- गहाधिवक्ता / अतिरिक्त महाधिवक्ता / उप गृहाधिवक्ता, मध्यप्रदेश जबलपुर!
- प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कृत्यं विभाग, भोपालः
- 3. प्रवध संचालक, म०प्र० राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय भोपाल ।
- संबंधित जिलाध्यक्ष, खरगोन मध्यप्रदेश।
- 5. संयुक्त संचालक / उपसंचालक मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, इन्दौर (म.प्र.) प्रभारी अधिकारी की ओर अग्रेषित। साथ ही शासकीय अधिवक्ता से संपर्क करने और उपस्थित प्रभण-- अप्राप्त रिपोर्ट प्राप्त करने तथा अपनी प्रत्येक मेंट (विकिट) पर शासकीय अधिवक्ता से आपों की कार्यवाही के लिये सलाह करने और मामले में अपनी प्रगति रिपोर्ट के साथ उसे उनके विभागाध्यक्ष को रालाह करने और मामले में अपनी प्रगति रिपोर्ट के साथ उसे उनके विभागाध्यक्ष को मेजने हेतु अग्रेषित। मामले की प्रगति रिपोर्ट की एक प्रति इस विभाग के साथ विधि विभाग को भी आवश्यक रूप से भेजी जाते भामले की सुनवाई तारीख की मामले की नियत की गई है।

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मंत्रालय भोपाल

IN THE High Court of Judicature at Jabalpur: Bench at Indore

Process Id: 2922/2016

WP/193/2016

From

Deputy Registrar, High Court of Judicature at Indore Against Admission and I.R. Fixed for 22-02-2016
WP-DA-11
Respondent No. 2

To,

Madhya Pradesh Sate Agricultural, Marketing Board Through Its Director, 20, Kisan Bhawan, Arera Hills Jail Road Bhopal, District-Bhopal (MADHYA PRADESI

15 2-01-16 Indore 20-01-2016

Sub: Notice to Respondent No. 2 in writ Petition(Mandamus/Prohibition/ Certiorari/Quo Warranto) No. WP/ 193/ 2016

Sir Madam,

I am directed to inform you that one Smt. Laxmibai has filed a petition under Article 226 of the Constitution of India (Copy enclosed) in this Court, and the same is registered as Writ Petition (Mandamus Prohibition: Certtorari Quo Warranto) No. WP/193/2016

Take notice that you are required to submit a return personally or through a duly engaged Advocate on or before 22-02-2016. If no return is filed as aforesaid, the petition will be heard and decided exparte.

(Seal of the Copyr) Encl: Copy of Petition 6795

Your's faithfully

DEPUTY REGISTRAR

1014

Wednesday 20 January 2016 04:36 PM